न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 41 / 2021

श्री गुलजार मो0 पुत्र सुल्तान मो0 निवासी कल्लू मियां की हवेली के पास टोंक राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> **दिनांक 9–12–2021**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 20–09–2021 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :–

1 मुकदमा नम्बर 10/1964 राजस्व मण्डल न्यायालय अजमेर, श्री सुलतान मोहम्मद खान अपीलान्ट बनाम मोहम्मद सादिक, शेर मोहम्मद, कमरूद्दीन अन्य रेस्पो. निर्णय दिनांक 18–12–1967, 8–3–1968 रिकार्ड भेजने की तारीख रिकार्ड का निर्णय भेजा– जिलाधीश (जागीर टोंक) रिकार्ड भेजने का कमांक संख्या 6183/1968 जिलाधीश (जागीर टोंक) की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि।

2 उपरोक्त रिकार्ड अजमेंर से टोंक आया आपके कार्यालय, आपके कार्यालय द्वारा क्या कार्यवाही अब तक की गई और यह रिकार्ड आपने कहां पहुचाया उसकी सम्पूर्ण जानकारी मय प्रामण के दे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव अति. जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 1425 दिनांक 23.11.2021 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव अति. जिला कलेक्टर टोंक द्वारा पत्र कमांक: आर0टी0 आई/2021/991 दिनांक 9.12.2021 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सुचना प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार टोंक से सम्बधित होने के कारण कार्यालय के पत्रांक 793 दिनांक 27.09.2021 से अन्तरित की गई थी,जिसके कम में प्रभारी अधिकारी, रिकॉर्ड अनुभाग, कलेक्ट्रेट टोंक द्वारा पत्रांक 283–84 दिनांक 02.12.2021 से आवेदक को सूचित किया गया है कि रिकार्ड लगभग 42 वर्ष पुराना है जिसे काफी तलाश किया गया किन्तु पत्रावली रिकार्ड में उपलब्ध नहीं होना पाया गया। जिसकी छाया प्रति जवाब के साथ संलग्न की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना के सम्बन्ध में निर्धारित समयावधि के पश्चात 42 दिन पश्चात सूचित किया गया है जो उचित नहीं है भविष्य में अधिनियमानुसार 30 दिवस की अवधि में [illegible] कार्यवाही की जावे।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। [illegible] की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव अति. जिला कलेक्टर टोंक [illegible] प्रेषित की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:58:38 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलेक्टर
टोंक